संख्या- 406/2025/398के-2/22-3-2025-17(101)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री भगवान सिंह, भूडरी, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी अर्जुन सिंह ने अपनी लड़की आशा की शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार करीब 01 लाख रूपया खर्चा किया था लेकिन लड़का पक्ष अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल की मॉग करते थे। दिनांक-10.03.2010 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण आशा को पीटा एवं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना मिलने पर वादी अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पंहुचा, जहॉ पर उसकी पुत्री मरणासन्न अवस्था में थी। लड़की के ससुराल वालों ने वादी के साथ अस्पताल में भी अभद्र व्यवहार किया और उन्हें वहां से भगा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-534/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 498ए, 323, 504, 506 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला सम्बंधी), एफ0टी0सी0-प्रथम मथुरा के आदेश दिनांक 01.02.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-25-06-2023 तक बन्दी की आयु 46 वर्ष 10 माह 21 दिन है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी जयवीर पुत्र भगवान सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि वादी अर्जुन सिंह ने अपनी लड़की आशा की शादी अपने सामर्थ्य के अनुसार करीब 01 लाख रूपया शादी में खर्च किया था। लेकिन लड़का पक्ष अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल की मांग करते थे। दिनांक 10.03.2010 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण आशा को पीटा एवं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना मिलने पर वादी अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पर उसकी पुत्री मरणासन्न अवस्था में थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लड़की के ससुराल वालों ने वादी के साथ अस्पताल में भी अभद्र व्यवहार किया और उन्हें वहां से भगा दिया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी जयवीर पुत्र भगवान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जयवीर (बन्दी संख्या-17367) पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी- जनपद-मथुरा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या- 406/2025/398के-2(1)/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 406/2025/398के-2/22-3-2025-17(101)/2024

दिनांक 12 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री भगवान सिंह, भूडरी, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी अर्जुन सिंह ने अपनी लड़की आशा की शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार करीब 01 लाख रूपया खर्चा किया था लेकिन लड़का पक्ष अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल की मॉग करते थे। दिनांक-10.03.2010 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण आशा को पीटा एवं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना मिलने पर वादी अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पंहुचा, जहॉ पर उसकी पुत्री मरणासन्न अवस्था में थी। लड़की के ससुराल वालों ने वादी के साथ अस्पताल में भी अभद्र व्यवहार किया और उन्हें वहां से भगा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-534/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 498ए, 323, 504, 506 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला सम्बंधी), एफ0टी0सी0-प्रथम मथुरा के आदेश दिनांक 01.02.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-25-06-2023 तक बन्दी की आयु 46 वर्ष 10 माह 21 दिन है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी जयवीर पुत्र भगवान सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि वादी अर्जुन सिंह ने अपनी लड़की आशा की शादी अपने सामर्थ्य के अनुसार करीब 01 लाख रूपया शादी में खर्च किया था। लेकिन लड़का पक्ष अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल की मांग करते थे। दिनांक 10.03.2010 को बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण आशा को पीटा एवं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना मिलने पर वादी अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पर उसकी पुत्री मरणासन्न अवस्था में थी। लड़की के ससुराल वालों ने वादी के साथ अस्पताल में भी अभद्र व्यवहार किया और उन्हें वहां से भगा दिया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी जयवीर पुत्र भगवान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in